


फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

मा संख्या :- 109/2019

छीतर बनाम नारायण

नांक आझा कार्यवाही	आझा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
7.11.2024	<p>पत्रावली आज <del>कमिशन</del> पेश हुई। बहरा वकील वादी की सुनने एवं मौका कमीशनर की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर हम पाते है कि वादी छीतर पुत्र रामगोपाल द्वारा विभाजन करने से मना कर दिया। अतः मौका कमीशनर की रिपोर्ट के आधार पर दावा खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)</p>	